प्रकीर्ण वाद संख्या २४५/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ३५२/२०१७)
केदार आदि बनाम ऋषि राज आदि
०६.०१.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण केदार, भारत पाल एवं कु. विनीता नाबालिग जरिए संरक्षक पिता केदार द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को लोक अदालत में पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि जमा कर दी गयी है। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई अपील लंबित है और न ही कोई स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थीगण ने याचना की है कि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार प्रकरण में जमाशुदा धनराशि उन्हें दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी केदार का शपथपत्र ४सी२, अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. ३५२/२०१७ केदार आदि बनाम ऋषि राज सिंह आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थी केदार ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को **ई लोक** अदालत में सुलहनामा के आधार पर ₹ ५,५०,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिस प्रतिकर धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ३ प्रत्येक को क्रमशः ४०, ३० व ३० प्रतिशत भाग प्राप्त होना है। याची सं. ३ कु. विनीता अवयस्क को प्राप्त होने वाली धनराशि उसके नाम जरिए संरक्षक पिता केदार, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधित जमा योजना में उसके वयस्क होने तक के लिये जमा की जानी है, जिसकी समस्त धनराशि वह वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेगी। याची सं. १ व २ को प्राप्त होने वाली धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत भाग वे आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए उन्हें अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा उनकी शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर में बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार UTR No. AXISP00165576167 Date 07.12.2020 से ₹ ५,५०,००० पी.एन.बी.झोकनबाग, झाँसी में जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने अपने-अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद एवं वर्णित एन्युटी के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ३५२/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. २५०/२०२० केदार आदि बनाम ऋषि राज सिंह आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अर्जित ब्याज को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Kedar	165000	30	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Kedar	55000	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010011034	Syndicate Bank, Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
2. Bharat	123750	22.5	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
2. Bharat	41250	7.5	Elect. Mode RTGS/NEFT	672918210003523	Bank of India Branch Gurga0n	BKID0006729

					Sector 10 Haryana	
3. Kum. Vineeta	165000	30	FD Up to her majority carrying highest interest through natural guardian/ father Kedar	------	Any Nationalized Bank	____
Total	550000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

UTR No. added

(चंद्रोदय कुमार)

PO, MACT, JHANSI

पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी